

उत्तर प्रदेश शासन  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—१  
संख्या—२९१६ / आठ—१—०६—४५विविध / ०६टीसी  
लखनऊ : दिनांक १८ मई, २००६

### कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में हाई-टेक टाउनशिप विकसित करने के लिए निजी पैंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु “हाई-टेक टाउनशिप नीति—२००६” के अंतर्गत विकासकर्ता कम्पनियों के चयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किये जाने हेतु महाहिम श्री राज्यपाल एतदारा अनुमति प्रदान करते हैं :—

(I) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(II) औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
(III) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(IV) प्रमुख सचिव / सचिव, न्याय विभाग	सदस्य
(V) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग	सदस्य
(VI) प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
(VII) प्रमुख सचिव / सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
(VIII) आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
(IX) संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष	सदस्य
(X) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.	सदस्य
(XI) प्रमुख सचिव / सचिव, आवास एवं शहरी नियोजक	सदस्य / संयोजक
(XII) सम्बन्धित मण्डलायुक्त	सदस्य
(XIII) सम्बन्धित जिलाधिकारी	सदस्य

2— उपर्युक्तानुसार गठित समिति के स्वरूप में परिवर्तन शासन स्तर उच्चानुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

3— उक्त समिति विकासकर्ता कम्पनियों का चयन, “हाई-टेक टाउनशिप नीति—२००६” से संबंधित शासनादेश संख्या : २९१५ / आठ—१—०६—४५विविध / २००६टीसी, दिनांक १८—५—२००६ में निर्धारित व्यवस्था व मानकों के अनुसार करेगी।

4— उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन लगभग 90 दिन के अन्दर पूर्ण कर संबंधित विकासकर्ता कम्पनी को सूचित किया जायेगा। प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया के संबंध में अलग से दिशा—निर्देश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

के.एल. मीना

सचिव

संख्या—2916(1) / आठ—1—06, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, कर निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9. संबंधित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी

अनुसचिव